उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-122/2018/2155/92-2-18-03जॉच/2015

लखनऊ:: दिनांक 16 अगस्त, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार के डेस्टीनेशन डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत जनपद अलीगढ के पर्यटन स्थल अचलताल में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा पूर्व निर्मित सिविल निर्माण कार्य की फिनिशिंग तथा टाई बैण्ड को संतोषजनक स्थिति में न लाने तथा निर्मित कराये गये निर्माण कार्य को संबंधित विभाग को हैण्ड ओवर न किये जाने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-147/2017/1424/92-2-17-03जांच/2015 दि0 11-08-2017 द्वारा श्री सै0 जब्बार हुसैन, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अलीगढ के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत जांच के सम्पादनार्थ तत्का0 विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- कालान्तर में जांच अधिकारी/तत्का0 विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन का स्थानान्तरण स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पद पर हो जाने के फलस्वरूप शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-219/2017/3338/92-2-17-03जांच/2015 दि0 21-12-2017 द्वारा श्री आर0 पी0 सिंह, निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जांच के सम्पादनार्थ पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ के पत्र सं0-3302/ग्रा0अ0वि0/कैम्प-निदेशक/जांच-ज0हु0/2017-18 दिनांक 08.03.2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की उक्त जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर स्थापित एक मात्र आरोप सिद्ध नही पाया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, अधिरोपित आरोप के संबंध में अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री सै0 जब्बार हुसैन, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अलीगढ सम्प्रति पी0आई0यू0-मेरठ पर अधिरोपित आरोप स्थापित न पाये जाने के दृष्टिगत श्री हुसैन के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 11.08.2017 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-122/2018/2155(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री सै0 जब्बार हुसैन, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अलीगढ, सम्प्रति पी0आई0यू0-मेरठ द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0 के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।